कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थितः— श्री अनिल संत कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :— **सर्वश्री सागर इन्टर प्राइजेज, ग्राम रामपुर, मुजफ्फर नगर।**

प्रा0प0सं0— **380/2008**

प्रार्थी की ओर से— **श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल, अधिवक्ता ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008की धारा—59 के अर्न्तगतनिर्णय

I— प्रार्थी के द्वारा दिनांक 14—I0—2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा—59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यापारी द्वारा **Packing Material** पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है तथा **Packing Material** में उदाहरण के तौर पर **Paper Core pipes,paper Tube ,Edge protector** आदि का उदाहरण देते हुये कर की स्थिति की जानकारी चाही गयी है।

2— व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड—I वाणिज्य कर, मुजफ्फर नगर जोन, मुजफ्फर नगर ने अपने पत्र संख्या —3602दिनांक 0I—II—08 से व्यापारी के विषय में विस्तृत आख्या प्रेषित की है

जिसमें उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त वस्तुयें पैकिग मैटेरियल नहीं है क्योंकि उनके द्वारा निर्मित वस्तु का प्रयोग पैकिग मैटेरियल के रुप में नहीं किया जाता है बल्कि उनके द्वारा निर्मित वस्तु पर पेपर निर्माताओं द्वारा पेपर लपेटा जाता है तथा व्यापारी द्वारा जो मान0 उच्च न्यायालय एवं अन्य निर्णयों का हवाला दिया गया है उसके तथ्य आलोच्य वाद के तथ्यों से भिन्न है। कोर पाइप का उत्पादन इस प्रकार होता है कि पेपर /क्राफ्ट पेपर को सिलीकेट एवं गम के साथ अनेको बार लपेटा जाता है जिससे की उसकी मोटाई बढ़ जाती है तथा इस प्रकार बनाये गये कोर पाइप पर विभिन्न साइजो के पेपर को लपेटा जाता है । व्यापारी द्वारा निर्मित किसी भी वस्तु का प्रयोग पैकिंग के रुप में नहीं किया जाता है।

3— धारा—59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल, अधिवक्ता उपस्थित हुयें व्यापारी के अनुसार उनके द्वारा **Paper Core pipes,paper Tube ,Edge protector** आदि का निर्माण एवं बिक्री की जाती है तथा उक्त दोनों वस्तुयें पैकिग में प्रयोग आने के कारण उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसुची—2—क के कमांक—90 के अनुसार 4 प्रतिशत की दर से करदेयता होनी चाहिए । उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसुची—2—क के कमांक—90एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसुची—2—क के कमांक—92 में अंकित प्रविष्टियॉ दिनांक 29—9—08 के पूर्व निम्नवत् थी :—

90	Packing cases **and** packing materials including cork, cork sheets, gunny bags, HDPE/PP woven strips, HDPE/PP circular strips and woven fabrics; Hessian cloth, Hessian based paper, Polythene and Hessian based paper; high density polythene fabric based paper and bituminized water proof paper, jute twine; polythene and plastic bags including LDPE plastic bags for milk pouches; Tin containers, shooks, tea chests, waste paper, wooden boxes, wooden shavings, wooden crates, wooden cable drums, **all types of**
92	Paper of all kinds (including newsprint when sold to person other than news paper publishers**),** handmade paper and gum tape, whether meant for writing, printing, copying, packing or for any other purpose excluding cellophane, mill board, duplex board and grey board; **plywood, flushdoor and blockboard, hardwares, millstores; cash box; metallic jaali, barbed wire; and wooden spoon.**

कमशः 2 पर

<u>सर्वश्री सागर इन्टर प्राइजेज, ग्राम रामपुर, मुजफ्फर नगर।</u>
<u>प्रा0प0सं0– 380/2008</u>

_तथा शासन द्वारा जारीविज्ञप्तिसंख्या–क0नि0 –2–2758/ग्यारह–9(।)/08 –उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(29)–2008दिनांक29–9–08 के पश्चात वैट अधिनियम की अनुसुची–2–क के क्रमांक–92 में कुछ परिवर्तित कर दिया गया था । उसके पश्चात की प्रविष्टि निम्नवत् हैः–

92	सभी प्रकार का कागज(जिसमें समाचार पत्र प्रकाशकों से भिन्न व्यक्ति को न्यूज प्रिन्ट की बिक्री सम्मिलित है)एवं गम टेप, चाहे इनका प्रयोग लिखने, छापने, नकल उतारने, पैकिग अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिये किया जाय परन्तु इसमें सैलोफेन, मिल बोर्ड, डुप्लेक्स बोर्ड एवं ग्रेड बोर्ड सम्मिलित नहीं है, प्लाई वुड, फ्लश डोर एवं ब्लाक बोर्ड, धातु की जाली, कांटेदार तार व लकड़ी के चम्मच, कैश बाक्स

4– मेरे द्वारा अभिलेखों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं पूर्व में पारित आदेशो का परीक्षण किया गया । सर्वश्री मदीन पेपर टयूब्स प्रा0लि0, 117/356 सोरा गोदाम गुमटी न0–9 कानपुर (प्रार्थना पत्र संख्या –109/08)में कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–4–08 तथा सर्वश्री अग्रवाल पैकेंजिग, 615 रेवती कुंज, रेलवे रोड, हापुड़(प्रार्थना पत्र संख्या –152/08)में कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–6–08, उपरोक्त दोनों मामलों में कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा **Paper Core pipes,paper Tube, Edge protector** आदि को वैट अधिनियम की अनुसुची –1, 2, 3, 4 में वर्गीकृत नहीं किया गया है तथा अनुसुची–5 के अन्तर्गत इन्हें अवगीकृत वस्तु की भांति 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता मानी गयी है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये एवं पूर्व पारित आदेशो को देखते हुये यह माना जायेगा कि उपरोक्तानुसार उपरोक्त वस्तुयें अनुसुची–5 के अन्तर्गत आने के कारण 12.5 : की दर से करदेयता होगी।

5– प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा–59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6– इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को, एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को तथा एक प्रति वैव साइट में डालने हेतु भेजी जाय।

दिनांकः: 23 जनवरी, 2009

ह0/23–।–09
(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।